



GRAM : PARAYAVARAN
तार : पयारवा

क्षेत्रीय कार्यालय
Regional office

फोन एवं फैक्स : 05278-245411
Tele Fax : 05278-245411

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

फैजाबाद

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

FAIZABAD

संदर्भ संख्या 607/MCC/2015
Ref No.

सेवा में,

भूखंड आदर्श आटेमोबाइल (प्रदूषण प्रयुक्त),
गाम सफदरभासी, तहरो भिन्कीपुर,

जानपद-फैजाबाद

विषय : जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्रावधानों के अन्तर्गत स्थापना हेतु सहमति।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पर दिनांक 24.07.2015 का संदर्भ लें। आपके आवेदन पर विचार किया गया तथा कृपया अवगत हो कि उद्योग की पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विधित्त शर्तों एवं सामान्य शर्तों के मूल्यांकन अनुरोध के साथ शर्त अनुरोधित स्वीकृत की जाती है।

1- अनुरोधित प्रमाणपत्र निम्नलिखित विधित्त शर्तों के तहत ही निर्गत किया जा रहा है।

- (क) स्थल : गाटा नं०-568 व 570, गाम सफदरभासी, तहरो भिन्कीपुर, फैजाबाद।
- (ख) भूखण्ड : डील 20 किलोमीटर एवं प्रदूषण 20 किलोमीटर स्थल टैक में संचालित किया जाएगा।
- (ग) औद्योगिक उत्पादों की मात्रा : शून्य।
- (घ) प्रदूषण नियंत्रण : 15 के.वी.ए. के कौनोपयुक्त डी.जी. सेट हेतु डील का प्रयोग किया जाएगा।

2- प्रदूषण प्रयुक्त शक्ति का निष्कासन उपयुक्त क्षमता के सेटिक टैंक/सोफिट के माध्यम से निम्नलिखित किया जाये। प्रदूषण प्रयुक्त शक्ति का निष्कासन प्रदूषण प्रयुक्त शक्ति से निष्कासन किया जाये कि राज्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाये।

3- प्रदूषण प्रयुक्त शक्ति का निष्कासन प्रदूषण प्रयुक्त शक्ति से निष्कासन किया जाये कि राज्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाये।

4- प्रदूषण प्रयुक्त शक्ति का निष्कासन प्रदूषण प्रयुक्त शक्ति से निष्कासन किया जाये कि राज्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाये।

5- प्रदूषण प्रयुक्त शक्ति का निष्कासन प्रदूषण प्रयुक्त शक्ति से निष्कासन किया जाये कि राज्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाये।

6- प्रदूषण प्रयुक्त शक्ति का निष्कासन प्रदूषण प्रयुक्त शक्ति से निष्कासन किया जाये कि राज्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाये।

7- प्रदूषण प्रयुक्त शक्ति का निष्कासन प्रदूषण प्रयुक्त शक्ति से निष्कासन किया जाये कि राज्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाये।

8- प्रदूषण प्रयुक्त शक्ति का निष्कासन प्रदूषण प्रयुक्त शक्ति से निष्कासन किया जाये कि राज्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाये।

भरत
(गाम सफदरभासी)
क्षेत्रीय अधिकारी

दिनांक 12.08.2015
Date.....